संख्या- 01/2018/188/बयालिस-2018-193(विविध)/2016

प्रेषक,

हृदय शंकर तिवारी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 19 जनवरी, 2018**

विषय :- **सुश्री पी0वी सिन्धु, सुश्री साक्षी मलिक तथा सुश्री दीपा करमाकर को एक-एक करोड रूपये पुरस्कार दिये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– जी0- 1675/2017-18, दिनांक 16 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे आपके यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न बी0एम0- 9 (भाग- 1) प्रपत्र संख्या- 164/बयालिस-2018-193(विविध)/2016, दिनांक 18.01.2018 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से सुश्री पी0वी0 सिन्धु, सुश्री साक्षी मलिक तथा सुश्री दीपा करमाकर को एक-एक करोड़ रूपये पुरस्कार दिये जाने हेतु रू0 151.57 लाख (रू0 एक रोड़ इक्यावन लाख सत्तावन हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करते हुए उक्त सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 151.57 लाख (रू0 एक करोड़ इक्यावन लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित की जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2017-18 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को लम्बे समय तक पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2017-18 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाये-104-खेलकूद-13-राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाडियों को पुरस्कार-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

हृदय शंकर तिवारी,
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 188(1)/बयालिस-2018-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(2)- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4)- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1(तीन प्रतियों में)/2

(6)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5

(7)- नियोजन अनुभाग- 4

(8)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0- 9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158 देखें)

(इस प्रपत्र को भेने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या- 22 वित्तीय वर्ष- 2017-18

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।**	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
01	02	03	04	05	06
लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खेलकूद-निदेशालय-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) 220400001030052	151.57	151.57	151.57	151.57	--
कुल योग :-	**151.57**	**151.57**	**151.57**	**151.57**	--
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।**	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमित हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8$9)
07	08	09	10	11	12
लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद-13-राष्ट्रीय/ अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाडियों को पुरसकार-20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) 220400104130020	300.00	451.57	151.57	151.57	451.57
कुल योग :-	**300.00**	**451.57**	**151.57**	**151.57**	**451.57**

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) स्तम्भ- 3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष- 2017-18 में लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खेलकूद-निदेशालय-52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) मद में रू0 151.57 लाख बजट व्यवस्था उपलब्ध है। शासनादेश संख्या- 24/2017/वे0आ0- 2-1149/दस-04(एम0)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में इस मद में रू0 151.57 लाख की बचत सम्भावित है।

(2)- स्तम्भ- 8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ- 9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

वित्तीय वर्ष- 2017-18 लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद-13-राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाडियों को पुरसकार-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में व्यवाधिक्य का मुख्य कारण तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में सुश्री पी0वी0 सिन्धु, सुश्री साक्षी मलिक एवं सुश्री दीपा करमाकर को एक-एक करोड़ रूपये पुरस्कार दिय जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी।

वित्तीय वर्ष- 2017-18 में 13-राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाडियों को पुरसकार-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 300.00 लाख की बजट व्यवस्था उपलब्ध है जिसके सापेक्ष अब तक रू0 93,80,000/- के आदेश निर्गत किये जा चुके है इसके अतिरिक्त लगभग रू0 57.77 लाख व्यय होने की सम्भावित है। इस प्रकार इस मद में रू0 148.43 लाख की धनराशि उपलब्ध है। अत: उक्त मद में रू0 151.57 लाख की धनराशि की आवश्यकता है।

(3)- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- आर0ई0- 193/ई-5-59/दस, दिनांक 18 जनवरी, 2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(आनन्द कुमार राय)
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 164/बयालिस-2018-193(विविध)/2016-तद्दिनांक :-

प्रतिलपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(2)- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3)- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 (तीन प्रतियों में)
(5)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in